सीएसआईआर- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
पिलानी (राजस्थान)

सं.प्र.अ./समितियाँ/20-III

दिनांक : 06/04/21

कार्यालय ज्ञापन

विषय : स्थायी निपटान समिति का पुनर्गठन

निदेशक, सीएसआईआर-सीरी, पिलानी ने सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 124(I) में दिए गए उपबंधों तथा समय-समय पर सीएसआईआर से प्राप्त अनुदेशों के आधार पर **स्थायी निपटान समिति** का सहर्ष **पुनर्गठन** किया है । समिति के सदस्य निम्नवत हैं :-

1. डॉ. अशोक चौहान व.प्र.वैज्ञानिक,	अध्यक्ष
2. डॉ. मुकेश आलडिया , प्र.वैज्ञानिक	सदस्य
3. डॉ धीरज सांगवान, प्र.वैज्ञानिक	सदस्य
4. श्री नितिन कुमार, त.अधिकारी	सदस्य
5. श्री अरविंद कुमार सिंह, TO	सदस्य
6. श्री शलिनी सक्सेना, TO	सदस्य
7. प्रशासन नियंत्रक / प्रशासनिक अधिकारी/व.अनुभाग अधिकारी (सा.)	सदस्य
8. वित्त एवं लेखा अधिकारी/ व.अनुभाग अधिकारी (वि.एवं ले.)	सदस्य
9. भण्डार एवं क्रय अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी(भं.एवं क्र.)	सदस्य
10. अनुभाग अधिकारी (भण्डार)	सदस्य-संयोजक

समिति की बैठक में सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। तथापि, अपवादी मामले में गणपूर्ति(कोरम) 50% होगी बशर्ते कि वित्त एवं लेखा अधिकारी की समीक्षाओं को उलटा (over-rule) नहीं किया जाएगा। असहमति (मतभेद) की स्थिति में समिति की कार्यवाही निदेशक, सीएसआईआर-सीरी के पास भेजी जाएगी जिनका निर्णय अंतिम होगा। समिति की बैठक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम दो बार या आवश्यकतानुसार आयोजित की जाएगी।

समिति के विस्तृत कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

1. प्रभागाध्यक्षों द्वारा अधिशेष/अप्रचलित/अनुपयोगी आदि घोषित करने वाली सामग्री का निरीक्षण करना।
2. निपटान का प्रकार निर्धारित करना।
3. मदों/ढेरों के निपटान के लिए आरक्षित मूल्य नियत करना।
4. यह सुनिश्चित करना कि उठाया गया सामान निपटान-सूची के अनुसार ही है।
5. स्थायी निपटान समिति अधिशेष/अप्रचलित/अनुपयोगी घोषित करने के लिए सामग्री का निरीक्षण करने के प्रयोजन से तकनीकी समिति की नियुक्ति कर सकती है।

यह समिति दिनांक 01/04/21 से प्रभावी होगी तथा इसका कार्यकाल दिनांक 31/03/22 तक रहेगा।

प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि –

1. डॉ. अशोक चौहान, अध्यक्ष
2. सभी सदस्य
3. सभी नोडल अधिकारी/निर्णय एकक/निर्णय पैकेज प्रभारी
4. निदेशक, सीएसआईआर-सीरी के निजी सचिव
5. सतर्कता अनुभाग
6. एनएमसी
7. सूचना पट्ट
8. कार्यालय प्रति